रजिस्ट्री सं. डी एल—33001/96 REGISTERED No. DL—33001/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 25] नई दिल्ली, शनिवार, जून 22, 1996 (अषाढ़ 1, 1918)
No. 25] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 22, 1996 (ASADHA 1, 1918)

(इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके)
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं .	485
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	491
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं . .	7
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	867
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम . .	*
भाग II—खण्ड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ . .	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट . .	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिसमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (ii) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	709
भाग III—खण्ड 2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस	445
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं ।	3381
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	107
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को बताने वाला अनुपूरक	*

*प्राप्त नहीं हुए

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	485
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	491
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence . .	7
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	867
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)— Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories). .	*
PART II—SECTION 3—SUB SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) .	
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence .	
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India .	709
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	445
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	—
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	3381
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies .	107
PART IV—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc., both in English and Hindi	

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 17 जून 1996

संकल्प

सं. एफ 18-4/95-टी. एम.-3—क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज-17 हैं जो देश के प्रमुख राज्यों में स्थित हैं। ये भारत सरकार और सम्बन्धित राज्य सरकारों के संयुक्त तथा सहयोगी उद्यम के रूप में स्थापित किए गए थे। क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों की भूमिका गति-निर्धारक के रूप में कार्य करने तथा सम्बन्धित क्षेत्रों में अन्य तकनीकी संस्थाओं को शैक्षिक नेतृत्व प्रदान करने की है। प्रत्येक कालेज द्वारा सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के छात्रों को दाखिल करते हुए तथा इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय आधार पर उपलब्ध श्रेष्ठ विद्यार्थियों को नियुक्त करते हुए, राष्ट्रीय स्वरूप सुनिश्चित किया जाता है। कालेजों को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (अधिनियम संख्या 1860 का 21) के अंतर्गत स्वायत्त पंजीकृत समितियों के रूप में स्थापित किया गया था।

2. क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों की पिछली पुनरीक्षा प्रो. जय कृष्ण की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा 1971 में पूरी की गई थी।

3. जबकि इन कालेजों की ख्याति पर्याप्त उपलब्धियों में है, प्रायः यह कहा जाता है कि इनके कार्यक्रमों में बेहतर संतुलन की गुंजाइश है।

4. पिछली पुनरीक्षा से, क्षे.इं.का. के शैक्षिक कार्यक्रमों और पद्धतियों में पर्याप्त परिवर्तन आधुनिक प्रौद्योगिकी की चुनौतियों का सामना करने के लिए हुए हैं। क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों में ऐसी चुनौतियों के समर्थन हेतु अनेक पहले समय-समय पर की गई हैं और हाल ही में सभी क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों के लिए "उत्कर्ष केन्द्रों" तथा 8 क्षे. इं. कालेजों में 5 विषयों के विकास हेतु "इण्डो-यू.के.क्षे.इं.का. परियोजना" नामक दो कार्यक्रमों को आरम्भ किया गया है। इसके अतिरिक्त, भारतीय उद्योग का व्यापकीकरण, उद्योगोन्मुख प्रौद्योगिकियों की सहायता के लिए तकनीकी शिक्षा कार्यक्रम में समयोजन की आवश्यकता पर बल दे रहा है।

5. इन कालेजों के निर्धारित लक्ष्यों के साथ-साथ इन कालेजों के निष्पादन की पुनरीक्षा करने के अतिरिक्त, यह जांच करना अनिवार्य है कि क्या परिवर्तित आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किसी प्रकार का बुनियादी परिवर्तन अनिवार्य है और यदि हां, तो वित्तीय अपेक्षाओं सहित अनुवर्ती दायित्व क्या है।

6. अतः सरकार ने क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों की पुनरीक्षा करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित करने का निर्णय लिया। समिति का गठन नीचे दर्शाया गया है :—

अध्यक्ष

1. डा. आर. ए. माशेलकर
महा-निदेशक तथा सचिव
वैज्ञानिक तथा औद्योगिक
अनुसंधान परिषद्
रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001।

सदस्य

2. श्री आर. के. डी. साहू
अध्यक्ष,
भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
(बी. एच. ई. एल.)
बी. एच. ई. एल. हाउस,
सिरी फोर्ट रोड,
नई दिल्ली-110049।

3. श्री तरूण दास
महा-निदेशक
भारतीय उद्योग परिसंघ,
23-26 संस्थागत क्षेत्र,
तौदी रोड,
नई दिल्ली-110003 ।

4. प्रो. एन. सी. निगम,
उप कुलपति,
गोआ विश्वविद्यालय
गोआ ।

5. प्रो. बी. नाग
704, प्रेरणा एपार्टमेन्ट्स
तीरन्दाज
पोवाई (भा. प्रौ. सं. मुख्य
द्वार के सामने)
बम्बई-400076 ।

6. डा. सी. आर. मिश्रा
ए-18, चितरन्जन पार्क,
नई दिल्ली-110019 ।

7. प्रो. अशोक चन्द्र,
निदेशक,
अनुप्रयुक्त जनशक्ति अनुसंधान संस्थान,
आई. पी. इस्टेट,
रिंग रोड,
नई दिल्ली-110002 ।

8. प्रो. जे. पी. गुप्ता
सदस्य-सचिव,
अखिल भारतीय तकनीकी
शिक्षा परिषद (अ. भा. त. शि. परि.)
इन्दिरा गांधी खेल परिसर,
आई. पी. इस्टेट,
नई दिल्ली-110002 ।

सदस्य-सचिव

9. प्रो. डी. पी. अग्रवाल
संयुक्त शिक्षा सलाहकार
शिक्षा विभाग
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली-110001 ।

पुनरीक्षा समिति के "विचारार्थ विषय" इस प्रकार हैं :—

(1) क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों द्वारा की गई प्रगति की पुनरीक्षा करना तथा उनके सम्बन्धित ज्ञापन में यथा-निर्धारित उनके मिशन विवरण की तुलना में उपलब्धि तथा देश में उच्च कोटि की प्रौद्योगिकीय शिक्षा आधार के निर्माण में क्षेत्रीय इन्जीनियरी कालेजों की भावी भूमिका का सुझाव देना ।

(2) लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए शिक्षा-पद्धतियों, नए कार्यक्रमों तथा पाठ्यचर्याओं को तैयार करने, औद्योगिक, अनुसंधान तथा परामर्श आदि के तरीकों को निर्दिष्ट करना ।

(3) क्षेत्रीय इन्जीनियरी कालेजों के प्रशासन तथा वित्त-पोषण-प्रबन्धों की जांच करना तथा व्यापक प्रौद्योगिकी परिदृश्य द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए परिवर्तनों का सुझाव देना । क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों को कटिंग एज पर रखने की दृष्टि से पद्धति के अंतर्गत एक जागरूक साधन का सुझाव देना ।

(4) क्षेत्रीय इन्जीनियरी कालेजों का उद्योग, सासाइटी तथा अन्य संस्थाओं के साथ सम्पर्क-भागीदारी के लिए तन्त्र का सुझाव देना ।

(5) विद्यमान शिक्षकों के लिए उत्कृष्ट विशेषज्ञों तथा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की चयन प्रक्रिया का सुझाव देना ।

(6) ऐसे किसी अन्य मामले की सिफारिश करना जिसे समिति तकनीकी शिक्षा में पथ-प्रदर्शक के रूप में क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों के विकास हेतु उपयुक्त समझे ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत के राजपत्र में आम सूचना के लिए प्रकाशित की जाए ।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र के प्रशासन, विश्वविद्यालयों, संस्थाओं/मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग के संगठन, क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों को सूचनार्थ अग्रसारित की जाए ।

डी. पी. अग्रवाल
संयुक्त शिक्षा सलाहकार (तकनीकी)

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF EDUCATION)

New Delhi, the 17th June 1996

RESOLUTION

No. F. 18-4/95-T.S.-III.—There are seventeen (17) Regional Engineering Colleges (RECs) located in major States of the country. They were established as a joint and cooperative venture of the Government of India and the concerned State Governments. The role of RECs is to function as pace-setters and to provide academic leadership to other technical institutions in the respective regions. The National character is ensured by each college admitting students from all States and Union Territories and further by appointing the best available faculty on an all India basis. The colleges were established as autonomous registered societies under the Societies Registration Act, 1860 (Act No. XXI of 1860).

2. The last review of RECs was carried out in 1971 by a high level Committee constituted by the Government of India under the Chairmanship of Prof. Jaikrishna.

3. While these Colleges have very considerable achievements to their credit it is often said that there is a scope for a better balance in their programmes.

4. Since the last review, considerable changes in REC educational programmes and systems have taken place to cope up with challenges of modern technology. A number of initiatives to support such challenges have been built from time to time in RECs and recently with the introduction of two programmes viz "Centres of Excellence" for all RECs and "Indo-UK RECs Project for the development of the 4 themes in 8 RECs. Further, the globalisation of Indian Industry is necessitating adjustment in technical education programme to support industry oriented technologies.

5. Apart from reviewing the performance of these Colleges vis-a-vis their mandates, it is necessary to examine as to whether and infrastructural changes are necessary in view of the changing needs and if so what are the consequential implication including financial requirements.

6. The Government, therefore, decided to constitute a High Power Committee to review the Regional Engineering Colleges. The composition of the Committee is indicated below :—

Chairman

1. Dr. R. A. Mashelkar,
Director-General & Secretary,
Council of Scientific and Industrial Research,
Rafi Marg, New Delhi-110 001.

Members

2. Sh. R. K. D. Shah,
Chairman,
Bharat Heavy Electricals Ltd., (BHEL),
BHEL House,
Siri Fort Road,
New Delhi-110049.

3. Sh. Tarun Das,
Director-General,
Confederation of Indian Industry,
23-26 Institutional Area,
Lodi Road,
New Delhi-110003.

4. Prof. N. C. Nigam,
Vice Chancellor,
Goa University,
Goa.

5. Prof. B. Nag,
704, Prerana Apartments Tirandaz,
Powai (Opp. IIT Main Gate)
Bombay-400 076.

6. Dr. C. R. Mitra,
A-18, Cittaranjan Park,
New Delhi-110 019.

7. Prof. Ashok Chandra,
Director,
Institute of Applied Manpower Research,
I.P. Estate, Ring Road,
New Delhi-110 002.

8. Prof. J. P. Gupta,
Member-Secretary,
All India Council of Technical Education (AICTE),
Indira Gandhi Sports Complex,
I.P. Estate, New Delhi-110 002.

Member-Secretary

9. Prof. D. P. Agrawal,
Joint Educational Adviser,
Department of Education,
Ministry of Human Resource Development,
Shastri Bhawan,
New Delhi-110 001.

7. The "Terms of Reference" of the Review Committee is as under :—

(i) To review progress made by R.E.Cs and achievement vis-a-vis their Mission Statement as stipulated in their Memorandum of Understanding and suggest future role of R.E.Cs in building high quality Technological Education, base in the country.

(ii) To indicate methods of teaching practices, formulation of new programmes and curriculum, industrial, research and consultancy etc. to cater to the goals and objectives.

(iii) To examine administration and funding arrangement of R.E.Cs and propose changes, keeping in view the challenges offered by the Global Technology Scenario. Also suggest an alert organ within the system for keeping R.E.Cs at the cutting edge of Technology Education.

(iv) To suggest mechanism for close participation of R.E.Cs with Industry, Society and other institutions.

(v) To suggest method of selection of excellent faculty and teacher training programme for existing teachers.

(vi) To make recommendations on any other matter which Committee deems fit for the growth of R.E.Cs as leaders in Technical Education.

3. The Committee will devise its own method of proceeding and submit its Report within six months from the date of issue of this Resolution.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

2. Also ordered that a copy of the Resolution be forwarded to all the Ministries/Departments of the Government of India, all State Governments/Union Territory Administrations, Universities, Institutions/Organisations of the Department of Education, Ministry of Human Resource Development, Regional Engineering Colleges etc. for information.

D. P. AGRAWAL.
Jt. Educational Adviser (Technical)

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1996
Printed by the Manager, Govt. of India Press, Faridabad and Published by the Controller of Publications, Delhi, 1996.